अपील संख्या 71/2017 एल आर एक्ट
अनवान हुकमाराम (फौत) ननकोरी देवी वगैरह बनाम केसराराम वगैरह

.तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियन्स जज	नम्बर व तारीख अहकाल जो इस हुक्त की तामील में जारी हुऐ
10–12–2019	अभिभाषक अपीलान्ट श्री विजय कुमार पारीक एवं रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक श्री हरिश मदान उपस्थित। इस न्यायालय में यह अपील अपीलान्ट के अभिभाषक द्वारा दिनांक 01.09.2006 को उपखण्ड अधिकारी नोहर के निर्णय दिनांक 30.06.2006 के विरूद्व पेश की गई । अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर सम्मन जारी किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। अपील के विचाराधीन चलते रेस्पोडेन्ट संख्या 2 क, 3 त, व 3 ध के मृत्यु हो जाने पर अभिभाषक अपीलान्ट को लम्बे समय से रेस्पोडेन्ट संख्या 2 क, 3 त, व 3 ध के मृत्यु प्रमाण पत्र मय उनके जायज वारिसानो की सूची पेश करने तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ज, झ, ढ के निमित सम्मन पेश करने हेतु लगातार पाबन्द किया जाता रहा। अभिभाषक अपीलान्ट को लगातार पाबन्द किये जाने के बावजूद भी आज तक पेश नही किये है। इस संबध मे अभिभाषक अपीलांट ने बतलाया कि अपीलांट को कई बार रेस्पोडेन्ट संख्या 2 क, 3 त, व 3 ध के जायज वारिसानो की सूची लाने को कंहा करने परन्तु अपीलान्ट ने लाकर नही दी है। पत्रावली वर्ष 2006 से विचाराधीन चल रही है। अपीलांट जो स्वय न्याय की वांछा लेकर इस न्यायालय में आकर अपील प्रस्तुत की लेकिन बाद मे स्वय न्याय चाहने की तत्परता व कोशिश के अभाव को सिद्व करती है व स्वेच्छा से मामला चलाने मे अरूचि जाहिर करती है। न्याय की वांछा करने वाले पक्षकार की यह जिम्मेदारी होती है कि वह उन व्यक्तियो के नाम पते व जानकारी न्यायालय को दे जिनके विरूद्व वह उपचार चाहता हे। इस प्रकार .....लगातार.....	

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अभिभाषक अपीलांट को बार–बार पाबन्द करने के उपरान्त भी न्यायालय के आदेश की पालना नही करने के कारण यह पत्रावली अदम तकमील में खारिज की जाती है।

पत्रावली नम्बर से कम होकर आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड वापिस लौटाया जाकर पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanuman Sahai Meena
Date: 2019.12.18 13:32:41 IST
Reason: SelfAttested
Location: